were detained under the security Act were treated as political prisoners but now our Government even refuse to say that they are political detenus though they are detained under the DIR.

Shri S. M. Banerjee: They are detained because they are political opponents. Let him clarify the position. If he cannot clarify it, let him resign.

Shri Surendranath Dwivedy: If the Deputy Minister cannot clarify the position, let Shri Hathi clarify the position.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): As my colleague has explained, the persons who are detained are not detained because they are members of any political party as such....

Shri Surendranath Dwivedy: That is a different thing altogether.

Shri Hathi: They are detained because of their activities.

Shri Ranga: That is 'political'; the reasons are political then. What else are they?

Shri S. M. Banerjee: They want to brand everyone as a criminal.

Some hon. Members: Let him clarify what 'political' means?

Mr. Speaker: That can be clarified by any other method and not in this manner.

बेरोजगारी बीमा योजना

+

*420. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसेवक यादव :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धूलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बेरोजगारी बीमा योजना लागू करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उसके लिए कितनी राशि दी गई है ;

(घ) क्या उस पर होने वाले व्यय में राज्य सरकारों का भी भाग होगा ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) से (घ). अभी तक ड्राफ्ट स्कीम के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ङ) ड्राफ्ट स्कीम को अक्तूबर, 1965 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 23वें अधिवेशन के सामने रखा गया था और तब यह फैसला किया गया कि ब्यौरे पर स्थायी श्रम समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए । इस बीच प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में ड्राफ्ट स्कीम में कुछ संशोधन किए गए तथा उसे 13 और 14 फरवरी को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में रखा गया । समिति ने इस ड्राफ्ट स्कीम पर विचार-विमर्श मुल्तवी करने का निर्णय किया ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के पास कोई इस तरह का हिसाब या गिनती है कि इन तीन योजनाओं के दौरान देश में कितने लोग बेकार होते चले गए और इस वक्त देश में कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : यह स्कीम उन लोगों के लिए विचाराधीन है, जो काम पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब उन की छंटनी हो जाती है या वे कुछ देर के लिए काम से हटा दिये जाते हैं, जिस समय उनकी छंटनी हो या उनको काम से हटा दिया जाए, उस वक्त भी उन को कुछ मिलता रहे, इस के लिए अनएम्पलाएमेंट इंश्योरेंस की स्कीम है ।

श्री यशपाल सिंह : अगर सरकार देश में बेरोजगारों की कुल संख्या नहीं बता सकती, तो कम से कम यह बता दे कि भारत में बी०ए० (ग्रेडुएट्स) और एम० ए० कितने बेरोजगार हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह स्कीम उस तरह के बेरोजगारों के लिए नहीं सोची जा रही है । इसी लिए मैंने कहा है कि जिस तरह के लोगों के बारे में माननीय सदस्य सोच रहे हैं, यह स्कीम उनके सम्बन्ध में नहीं है । जिन लोगों के सम्बन्ध में यह स्कीम है, उन की तादाद लगभग 48 लाख है ।

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय ने बताया है कि 48 लाख लोग ऐसे हैं, जो काम पर लगे हुए हैं और किसी वजह से हटा दिये जाते हैं । जब तक बेरोजगारी की जड़ को नहीं पकड़ा जायेगा, तब तक बेरोजगारी नहीं मिटाई जा सकेगी । क्या मंत्री महोदय भारत में कुल बेरोजगारों की तादाद के बारे में ब्यौरा बताएंगे क्या वह यह भी बतायेंगे कि वह बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है, उसका इस सवाल से जो कि इस वक्त सदन के सामने पेश है, कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो वह एक अलहदा सवाल का नोटिस दें, कि कुल बेकारी कितनी है, मैं उसको बताऊंगा ।

श्री किशन पटनायक : संविधान की धारा 41 को कार्यान्वित करने के लिये अभी सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और उसमें कितने प्रतिशत प्रगति हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं सवाल समझ नहीं पाया ।

अध्यक्ष महोदय : संविधान की 41 धारा, जिसमें एम्पलायमेंट देने के बारे में है, उस में कितने प्रतिशत कामयाबी मिली है ।

श्री शाहनवाज खां : वह आंकड़े इस वक्त मौजूद नहीं हैं ।

श्री किशन पटनायक : कौन से आंकड़े मौजूद नहीं हैं ? 41 धारा जानते हैं ?

श्री त्यागी : 420 के ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना विरोध इस बात पर बता दूं, कि कुल 48 लाख की योजना है, 48 करोड़ का नहीं है । मेरा सवाल यह है कि 48

लाख में कितने मजदूर ऐसे हैं जो स्थायी हैं और कितने ऐसे हैं जो स्थायी नहीं है। मेरा मतलब है कि कैजुअल या बदली के जो मजदूर रखे जाते हैं, जब वह काम से हटाये जाते हैं तो उनका कोई संकेत नहीं होता है।

श्री किशन पटनायक : कितने स्थायी हैं, और कितने बदली वाले हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : बदली वालों के लिये क्या सोचा है ?

श्री जगजीवन राम : ये 48 लाख वे हैं जो प्राविडेन्ट फन्ड स्कीम के दायरे में आ चुके हैं। शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि प्राविडेन्ट फंड स्कीम में जो स्थायी या अस्थायी हैं, इस में दोनों आ जाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : सब नहीं आते।

श्री जगजीवन राम : ये 48 लाख वे हैं जो प्राविडेन्ट फन्ड स्कीम में आ चुके हैं, उन्हीं के लिये यह स्कीम लागू करने का विचार है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बदलीवालों के लिये जो कैजुअल हैं, उनके लिये क्या हो रहा है ।

श्री जगजीवन राम : वे आंकड़े नहीं हैं। मैं प्रयत्न करूंगा, यदि हो सका तो लेने का प्रयत्न करूंगा ।

विश्राम प्रसाद : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 48 लाख ऐसे आदमी हैं जो छंटनी में निकाल दिये जाते हैं.....

श्री त्यागी : यह कहां-कहां है ।

श्री विश्राम प्रसाद : जिन लोगों को फैक्टरियों में कैजुअल लेबर के तौर पर रखा जाता है 10–15 दिन बाद निकाल दिया जाता है, ऐसे लोगों के लिये क्या किया है ?

श्री शाहनवाज खां : जो प्राविडेन्ट फंड में 48 लाख लोग आते हैं, उनको ही इस में लिया गया है, बाकी अभी नहीं ले रहे हैं ?

Shrimati Savitri Nigam: What are the terms of reference given to this Committee and how long will the Committee take to reach a final conclusion and give final shape to this unemployment insurance scheme?

Shri Shahnawaz Khan: A draft scheme has been prepared and is to be submitted to the Standing Labour Committee. When that Committee meets next time, we presume it will be considered.

Shrimati Savitri Nigam: What are the terms of reference?

Shri Shahnawaz Khan: About the draft scheme?

Mr. Speaker: Shri Dwivedi.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि ड्राफ्ट स्कीम में बेकारी के समय क्या दिया जाता है ? इन लोगों को जो 48 लाख में से बेकार हो जायेंगे, या छंटनी में आ जायेंगे, इन के लिये क्या प्रस्तावित किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : ड्राफ्ट स्कीम के बमूजिब किसी मजदूर को जो कि रिट्रेन्च किया जाये या नौकरी से हटाया जाये, उसकी जितनी मुलाजमत है, उससे आधे अर्से के लिये हर साल के लिये 15 दिन का उसको छंटनी मुआवजा मिलेगा । मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दस साल मुलाजमत की तो उस को 5 महीने की तनख्वाह मिलेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फैक्टरी मालिक मजदूरों को जब काम पर रखते हैं तो उसको कभी स्थायी रूप में काम नहीं करने देते, उसे एक महीने के बाद हटा देते हैं। कोयला खानों में, छोटे उद्योगों में, बड़े उद्योगों में, प्राईवेट

सेक्टर में, सब जगह यही होता है। क्या सरकार उन व्यक्तियों के लिये कोई ऐसा तरीका बनाने जा रही है कि मालिकों की ओर से जो यह गड़बड़ की जाती है और वह इस में नहीं आते हैं, यानी प्राविडेन्ट फंड की योजना उन पर लागू नहीं होती है, उनके 240 दिन नहीं होने देते हैं, तो क्या सरकार इसके लिये कोई विशेष कदम उठाना चाहती है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य से इत्तफ़ाक करता हूं। बहुत से ऐसे केसेज भी हैं जहां कैजुअल लेबर के साथ पूरा इन्साफ नहीं होता है। इस नाइन्साफ़ी को हटाने के लिये सरकार भी कोशिश कर रही है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट इस देश में इतना आगे बढ़ रहा है कि वह खुद भी उन के अधिकारों की रक्षा कर सकगी ।

Shri Linga Reddy: The Minister has been pleased to say that this scheme includes only those who are employed and who are likely to be retrenched. Is there a scheme before the Government for employment of those who have no employment, whether educated or illiterate? Is there any separate scheme for them?

Shri Shahnawaz Khan: There is the employment exchange to find out employment for those who are educated and unemployed.

Shri R. Barua: Does Government propose to start this insurance scheme early at least on a limited scale, or will they go on appointing committees?

Shri Shahnawaz Khan: In this unemployment insurance scheme, various interests are concerned. On the one side are the employers, and on the other side are the employees. We have to take into consideration the views of each side. The matter has been considered and a draft scheme has been prepared. The standing labour committee will consider it and thereafter a decision will be taken.

श्री भागवत झा आजाद : इस महत्व-पूर्ण स्कीम पर समय समय पर स्थगन के प्रस्ताव आये हैं। पिछली सलाहकार समिति में जब इस का स्थगन किया गया तो क्या कोई निर्णय लिया गया था कि कोई अवधि के अन्दर इस स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, या वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए था ?

श्री शाहनवाज खां : इस स्कीम को सरकार जल्दी से जल्दी लाना चाहती है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया इसमें अपोजीशन कभी मिल-मालिकों की तरफ से आता है तो कभी मजदूरों की तरफ से एतराजत उठाये जाते हैं। बहुत से मसायल ऐसे हैं जिन पर गहरा सोच विचार करने की जरूरत है। स्टेंडिंग लेबर कमेटी इसको अगली मीटिंग में फाइनलाइज करेगी और हम जल्द से जल्द इसको करने का इरादा रखते हैं।

Shri S. C. Samanta: May I know when this scheme will be finalised, whether it will be brought here in the form of a legislation?

Shri Shahnawaz Khan: That will all be decided after the scheme has been examined and scrutinised by the standing labour committee.

Mr. Speaker: Shri D. C. Sharma.

Shri Hem Barua: Prof. Sharma should not be allowed to put a supplementary. He cannot be a 420.

Shri D. C. Sharma: I do not know what he is saying.

Mr. Speaker: Anyway, it is not meant for him.

Shri Surendranath Dwivedy: He is a 420, how can you prevent him?

Shri D. C. Sharma: You are an 840!

Shri Tyagi: 2X420!

Shri D. C. Sharma: May I know whether, after covering these 48 lakhs of workers under the unemployment insurance scheme by enacting legislation to that effect, the Ministry is

going to take up the case of other unemployed persons, or will they be left in the lurch for all time to come?

Shri Jagjivan Ram: Unemployment insurance of persons who come under the definition of industrial workers will be the responsibility of the Labour Ministry. So far as the other sections of the society are concerned, I think that will be for the Ministry of Social Security to consider.

Family Pension Scheme for Industrial Workers

+

*421. **Shri Bagri:**
Shrimati Renuka Barkataki:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Vishram Prasad:
Shri Utiya:
Shri Yashpal Singh:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Ravindra Varma:
Shri R. S. Pandey:
Shri Rajeshwar Patel:
Shri R. Barua:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the family pension scheme for industrial workers has been finally prepared;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) the categories of persons which will be benefited by this scheme; and

(d) when it is proposed to be given effect to?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) and (c). Details are yet to be worked out. However, to begin with, it is proposed to cover members of the Employees' Provident Fund and the Coal Mines Provident Fund under the Scheme.

(d) The matter is expected to be finalised towards the end of 1966.

I may add that this question had already been answered.

श्री बागड़ी : यह जो स्कीम है इसके तहत कितन मजदूरों को पेंशन से फायदा पहुंच सकेगा ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने पहले कहा है कि 48 लाख मजदूर ऐसे हैं जो कि प्राविडेन्ट फंड की प्राविजंज के तहत आते हैं और यह जो स्कीम है यह उन्हीं पर लागू होगी ।

श्री बागड़ी : कब तक उनको पेंशन इस स्कीम के तहत मिलने लग जाएगी ? क्या इसके बारे में कोई फैसला सरकार ने कर लिया है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तक तो कोई तारीख इसके बारे में मुकर्रर नहीं कर सकते हैं । जैसा मैंने अर्ज किया है एक कमेटी के सामने यह सवाल है और एक वर्किंग ग्रुप इसके ऊपर गौर कर रहा है । वह अपनी सिफारिशें पेश करेगा और उन पर गौर करने के बाद सरकार कोई फैसला करेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सरकार ने अपनी सोच में इन मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इन्तजाम रक्खा है पेंशन का एक अंग समझ कर के ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : नहीं, कोल माइंज में जो लोग हैं, शायद सदन को मालूम है कि उनके लिए कोलमाइंज वैलफेयर फंड है जिस में से मजदूरों के स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा वगैरह का प्रबन्ध किया जाता है और उससे उनके बच्चों की पढ़ाई का भी इन्तजाम किया जाता है । ऐसा भी हम सोच रहे हैं और शायद शीघ्र